



539  
9/11/2022.

4

"हर काम देश के नाम"

कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक

उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-110010

Office of the Controller General of Defence Accounts

Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt. -110010

Phone:011-25665574 Fax:011-25674806 Email:hqarmybr.dad@hub.nic.in

No. P&A/TADA/4462/PCDA NC/E-1818

Date: 07/11/2022

To,

All PCDA/CDA

Subject: Clarification regarding entitlement of transportation of personal effects (1/3<sup>rd</sup>) in Pt. TA/DA claim of employees/officers.

Reference: (1) PCDA(NC) Jammu letter No. टी/उ.क./यात्राभत्ता/सामान्य पत्राचार dated 05/08/2022.

(2) GOI MoF OM No. 19030/1/2017-E.IV dated 16/06/2022.


\*\*\*\*\*

The above mentioned subject issue was raised vide PCDA(NC) Jammu letter cited under reference No (1) wherein clarification has been sought from this HQs office regarding admittance of claim where journey has been completed before 16/06/2022 in light of Govt of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure OM No 19030/1/2017-E.IV dated 16/06/2022.

In this regard it is clarified that as per Para 4 of ibid OM, the order is effective from the date of issue, i.e. wef 16.06.2022. As such, it is clarified that claims in which journey has been completed prior to 16/06/2022 are not covered under the ibid OM.

All TA Claims may be regulated accordingly.

This has approval of Sr. Jt. CGDA(Audit).

  
[Roselin Tigga]  
Accounts Officer (Audit-IV)

Pl circulate to all concerned for compliance.

~~ICDA~~  
Approved by  
T Section for n.a  
9/11/22

Orders & circulars  
की file में लगाये  
द्वारा  
10/11/22



कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (उत्तरी कमान)  
नरवाल पाइन, सतवारी, जम्मू छावनी -180003  
Principal Controller Of Defence Accounts (NC)  
Narwal Pain, Satwari, Jammu Cantt - 180003  
दुरभाष :-0191-2435439; Email-tsectionpcdanc.dad@hub.nic.in



सं- टी/उ.क./यात्राभत्ता/सामान्य पत्राचार  
सेवा में

दिनांक 03/08/2022

रक्षा लेखा विभाग मुख्यालय,  
प्रशा(वेतन अनुभाग),  
उलन बटार रोड, पालम,  
दिल्ली छावनी-110010

T.A. 18-14

विषय: कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण बिल के अंतर्गत उनके समान बिल की (1/3<sup>rd</sup>)  
राशि के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: 1.भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं190301/1/2017-  
E.IV दिनांकित-16.062022.

2.क्षेत्रीय कार्यालय लेह का पत्र संख्या- क्षे.ले.का./वेतन/उ.क./लेह/यात्रा भत्ता दिनांक-  
03/08/2022

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (उ.क) जम्मू के अधीनस्थ  
क्षेत्रीय कार्यालय लेह द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण निर्धारित प्रारूप में आपके अवलोकनार्थ  
प्रेषित किया जा रहा है। आपसे आग्रह है की इस विषय पर अपनी टिप्पणी/स्पष्टीकरण इस  
कार्यालय को अतिशीघ्र प्रेषित करें।

रक्षा लेखा सह नियंत्रक (परिवहन)

प्रति :

प्रभारी अधिकारी  
क्षेत्रीय कार्यालय  
लेह

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त संदर्भित पत्र के  
सम्बन्ध में सूचनार्थ हेतु।

रक्षा लेखा सह नियंत्रक (परिवहन)

69507/2022/RnD

No. 19030/1/2017-E.IV  
 Government of India  
 Ministry of Finance  
 Department of Expenditure  
 \*\*\*

North Block, New Delhi  
 Dated 16<sup>th</sup> June, 2022

OFFICE MEMORANDUM

**Subject:** Travelling Allowance on transfer to/from North-Eastern Region, Union Territories of Andaman & Nicobar, Lakshadweep Islands and Ladakh - in respect of the Central Government employees.



The undersigned is directed to refer to Para 3 (iii) of this Department's OM No. 19030/1/2017-E.IV dated 13.07.2017 regarding Travelling Allowance on implementation of recommendations of 7<sup>th</sup> CPC, wherein it had been mentioned that production of receipt/vouchers is mandatory in r/o transfer to North-East Region, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep and Ladakh.

2. Several references have been received in this Department seeking clarification that in case the officer is transferred from North East Region to other part of India or vice-versa and the family of the Government employee does not accompany him whether production of receipt/vouchers is mandatory to claim 1/3<sup>rd</sup> amount of entitlement of transportation of personal effects.
3. The matter has been considered in this Department. It has been decided that on transfer to North East Region, Union Territories of Andaman & Nicobar, Lakshadweep Islands and Ladakh or vice-versa, the condition regarding production of receipt/voucher will be as under:
  - (a) If the family of the Government employee does not accompany him on transfer to /from these areas, the employee is entitled to carry personal effects upto 1/3<sup>rd</sup> of his entitlement and production of receipt/voucher is not mandatory to claim 1/3<sup>rd</sup> of his entitlement for transportation of personal effects.
  - (b) If the family of the Government employee accompanies him on transfer to/from these areas, the employee is entitled to the admissible cost of transportation of personal effects and production of receipt/voucher is mandatory to claim admissible amount as per his entitlement for transportation of personal effects.
4. This order shall be effective from date of issuance of this OM. Past cases already settled shall not be re-opened.
5. This is issued with the approval of Finance Secretary & Secretary (Expenditure).

  
 (Nirjala Devi)  
 Director

To,  
 All Ministries and Departments of the Govt. of India etc. as per standard distribution list.  
 Copy to : C&AG and U.P.S.C. etc. as per standard endorsement list.

59507/2022/RnD

 <p>Azadi Ka Amrit Mahotsav</p>	<p>क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वेतन) उत्तरी कमान Area Accounts Office (Pay) NC रक्षा लेखा विभाग परिसर, रिनचेन सभागृह के पास, लेह DAD Complex, Near Rinchen Auditorium, Leh केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख - 194101 Union Territory of Ladakh - 194101 फोन/phone : 01982-260996 ईमेल/E-mail : aaopayleh.dad@hub.nic.in</p>	
--	--	---

क्ष.ले.का./वेतन/उ.क./लेह/यात्रा भत्ता

दिनांक: 3 /08/2022

प्रति,


वरिष्ठ लेखा अधिकारी (परिवहन अनुभाग)  
कार्यालय: रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (उ.क.)  
नरवाल पाइन, सतवारी, जम्मू छावनी - 180003

विषय: कर्मचारियों / अधिकारियों के स्थानांतरण बिल के अंतर्गत उनके समान बिल की (1/3<sup>rd</sup>) राशि के स्पष्टीकरण के संबंध में।

संदर्भ: मुख्य कार्यालय जम्मू पत्र सं टी/उ.क./TA/DA/LTC पत्राचार दिनांकित 29.07.2022

इस कार्यालय के सम संख्याक पत्र दिनांक 27.06.2022 एवं 18.07.2022 के तारतामय में उपरोक्त विषय के संबंध में उपरोक्त संदर्भित पत्र के अंतर्गत दिये गए निर्धारित प्रोफॉर्मा में मांगी गयी जानकारी अनुलग्नक 'क' में भरकर आपको प्रेषित की जा रही है।

उप नियंत्रक महोदय ने देख लिया है।

  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वेतन), लेह

अनुलग्नक - क

## 1. प्रकरण का सार :-

प्रकरण 1. MES-511676, Sh. Shashi Kant Gupta, JE (E/M)  
 स्थानांतरण : GE kaluchak से GE (P) (AF) Leh  
 यात्रा पूर्ण: 12 जून 2022 में GE (P) (AF) Leh में रिपोर्ट किया।  
 बिल दिनांक : 17 जून 2022

प्रकरण 2. MES-439681, Sh. Sudhanshu Mishra, IDSE  
 स्थानांतरण : GE (E/M) base Hospital, Delhi से HQ CE Leh Zone  
 यात्रा पूर्ण: 02 मई 2022 में HQ CE Leh Zone में रिपोर्ट किया।  
 बिल दिनांक : 08 जून 2022

प्रकरण 3. MES-511550, Sh. Kamal Deep Singh, JE (E/M)  
 स्थानांतरण : GE (South) Delhi से GE Khumbathang  
 यात्रा पूर्ण: 06 जून 2022 में GE Khumbathang में रिपोर्ट किया।  
 बिल दिनांक : 10 जून 2022

प्रकरण 4. MES-194057, Sh. Yogesh Kumar Parley, EE  
 स्थानांतरण : GE (U) Ambala से HQ CE Leh Zone  
 यात्रा पूर्ण: 14 जून 2022 में HQ CE Leh Zone में रिपोर्ट किया।  
 बिल दिनांक : 30 जून 2022

प्रकरण 5. MES-510365, Sh. Ajay Kumar, JAA  
 स्थानांतरण : AGE (I) Dharamsala से GE (P) (AF) Leh  
 यात्रा पूर्ण: 09 मई 2022 में GE (P) (AF) Leh में रिपोर्ट किया।  
 बिल दिनांक : 17 जून 2022

प्रकरण 6. MES-511621, Sh. Gawali Tushar Ashok, JE(QS&C)  
 स्थानांतरण : GE (North) Akhnoor से GE (I) (P) No. 1 Leh  
 यात्रा पूर्ण: 21 अप्रैल 2022 में GE (I) (P) No. 1 Leh में रिपोर्ट किया।  
 बिल दिनांक : 17 जून 2022

## 2. संदेह का पॉइंट :-

सभी कर्मचारियों/अधिकारियों ने अपनी यात्रा 16 जून 2022 से पहले पूर्ण की है एवं सभी ने व्यक्तिगत समान बिल की (1/3<sup>th</sup>) राशि का दावा बिना रसीद के किया है, जबकि कर्मचारियों / अधिकारियों की यात्रा 16 जून 2022 से पहले पूरी हो चुकी है और यात्रा भत्ता दावा 16 जून 2022 के बाद किया जा रहा है।

कृपया भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं 19030/1/2017-E.IV दिनांकित 16.06.2022 के अनुसार तिथि स्पष्ट करने की कृपा करें कि जिसकी यात्रा 16 जून 2022 से पहले पूरी हो चुकी है और दावा 16 जून 2022 के बाद इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है, क्या उसका दावा समान बिल की (1/3<sup>th</sup>) राशि बिना रसीद के पास किया जा सकता है ? या फिर उनका ही पास करना है जिन्होंने अपनी यात्रा 16 जून 2022 या उसके बाद पूरी की है।


3. सरकारी आदेश/नियम:-

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं 19030/1/2017-E.IV दिनांकित 16.06.2022 के अनुसार कर्मचारियों / अधिकारियों के स्थानांतरण बिल के अंतर्गत उनके व्यक्तिगत समान बिल की (1/3<sup>rd</sup>) राशि बिना रसीद/वाउचर के देनी है यदि कर्मचारियों / अधिकारियों का परिवार उनके साथ लेह लद्दाख कार्यालयक्षेत्र में नहीं आ रहा है एवं इस आदेश की प्रभावी तिथि 16 जून 2022 दी गयी है।

4. इस कार्यालय की टिप्पणी:-

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं 19030/1/2017-E.IV दिनांकित 13.07.2017 के अनुसार नॉर्थ ईस्ट, अंडमान & निकोबार एवं लक्षदीप में कर्मचारियों / अधिकारियों के स्थानांतरण बिल के अंतर्गत वास्तविक रसीद/वाउचर लगाने जरूरी है, चूंकि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं 19030/1/2017-E.IV दिनांकित 16.06.2022 के नए आदेशानुसार कर्मचारियों / अधिकारियों के स्थानांतरण बिल के अंतर्गत उनके व्यक्तिगत समान बिल की (1/3<sup>rd</sup>) राशि बिना रसीद/वाउचर के देनी है यदि कर्मचारियों / अधिकारियों का परिवार उनके साथ लेह लद्दाख कार्यालयक्षेत्र में नहीं आ रहा है एवं इस आदेश की प्रभावी तिथि 16 जून 2022 दी गयी है।

इस कार्यालय के मतानुसार जिन कर्मचारियों / अधिकारियों की यात्रा 16 जून 2022 से पहले पूर्ण हो चुकी है उनको समान बिल की (1/3<sup>rd</sup>) राशि बिना रसीद/वाउचर के देनी नहीं देनी चाहिए।

  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वेतन), लेह